संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़
तृतीय तल, ब्लॉक 'ए', इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

क्रमॉक / स्था.अवि. / 233 / 2016 / 255 — नया रायपुर, दिनांक 14/03/2016

प्रति,

नियंत्रक,
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
टैगोर नगर, रायपुर, छ.ग.।

विषय :– **स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु विज्ञापन जारी करने बाबत्।**

संदर्भ :– **आपका पत्र क्रमांक / व्यापम / 2015 / 644 रायपुर, दिनांक 11.03.2016.**

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु चयन परीक्षा आयोजित कर संभागवार मेरिट सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– 1. विज्ञापन का प्रारूप।

2. सामान्य नियम एवं शर्ते साफ्ट कॉपी सहित।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर
क्रमांक 798
दिनांक 16/03/2016

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक/स्थापना अवि./2016/127 नया रायपुर, दिनांक :–14/03/2016

विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संभाग स्तरीय स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने के लिए छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2016 से 28.03.2016 तक छत्तीसगढ़ व्यासायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:–

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	सीधी भर्ती के रिक्त पद								
			कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन (OL)	योग	न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स)	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	तृतीय	**1134**	अनारक्षित	109	16	15	10	150	आयु सीमा 01.01.2016 को न्यूनमत 18 एवं अधिकतक 35 वर्ष एवं शासन द्वारा समय–समय पर छूट के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।	बी.एस.सी. (नर्सिंग) या पी.बी. बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं नर्सिंग कौंसिल में परिचायिका के रूप में पंजीकृत/ ए.एन.एम. (प्रसाविका)
				अ.जा.	59 (21+38 CF)	27 (2+25 CF)	12 (3+9 CF)	10 (1+9 CF)	108		
				अ.ज.जा.	312 (32+280 CF)	303 (5+298 CF)	77 (5+72 CF)	47 (2+45 CF)	739		
				अ.पि.वर्ग	51	61	16 (2+14 CF)	9 (1+8 CF)	137		

नोट :–1. CF से तात्पर्य अग्रणित (Carry Forward) पद से है।
2. उक्त पद हेतु केवल OL (एक पैर) निःशक्त ही पात्र होगें।
3. बस्तर/सरगुजा संभाग के लिए उक्त संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होगे।

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

उक्त पदों की संभागवार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्ते, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी व्यापम की वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

सामान्य नियम एवं शर्तें :–

1. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

2. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 दिनांक 10.03.2015 के द्वारा जारी परिपत्र अनुसार सरगुजा एवं बस्तर संभाग के पदों के लिये उस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी को ही मान्य होंगे।

3. पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक है।

4. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना होगा।

   (ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014. में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदो के लिये उपयुक्त OL (एक पैर) से निःशक्त ही पात्र होंगे।

5. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

6. आवेदन पत्र का पात्र अपात्र व चयन हेतु अंतिम निर्णय व्यावसायिक परीक्षा मंडल का होगा।

7. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

8. छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. नर्सिग कौंसिल में एवं रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

9. अनु.जाति. अनु.जन जाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण संभाग में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें।

10. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगारों के हित में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में एक बार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।

11. नियुक्ति की सिफारिश कराने वाले, किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

12. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

13. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शाये गये पद संख्या में वृद्धि या कमी करने, प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवाये छत्तीसगढ़ को होगा।

14. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर संबंधित संभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उस संभाग के आरक्षण रोस्टर अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें।

15. भूतपूर्व सैनिक, निःशक्तजन एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा।

16. नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन होने पर छ0ग0 राज्य के किसी भी जिले के संस्था में भेजा जावेगा यदि नियुक्ति किये गये स्थान में कार्यभार ग्रहण तिथि तक कार्य पर उपस्थित नही होते है, तो नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी जिसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगें।

17. उक्त चयन सूची एक वर्ष के लिये वैद्य होगी। यदि एक वर्ष के अंतर्गत उक्त पदों के लिये छ0ग0 शासन द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो पदों की पूर्ति प्रतिक्षा सूची से की जावेगी पृथक से विज्ञापन जारी नहीं किया जावेगा।

18. बस्तर व सरगुजा संभाग के पद हेतु आवेदक उस संभाग का स्थानीय निवासी होना आवश्यक होगा, संभाग स्तरीय पदों के लिये संभाग स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

19. संभाग स्तरीय पदो के लिये उस संभाग (बस्तर एवं सरगुजा को छोड़कर) के लिये मेरिट सूची से उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में राज्य स्तर की प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

20. विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके मेरिट के आधार चयन किया जावेगा (बस्तर एवं सरगुजा संभाग हेतु पृथक से मेरिट तैयार की जावेगी।)

21. पूर्व में किसी अभ्यार्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त या किसी भी प्रकार से दण्डित किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

22. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या प्रशासनिक कारणों से घटाई या बढाई जा सकती है।

24. शासन नियमानुसार पेंशन की पात्रता नहीं होगी।

25. अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य संभागीय पदों हेतु संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नियुक्ति के समय कराया जावेगा। प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उम्मीदवारी/परीक्षा–परिणाम/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

26. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेशन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

27. **परीक्षा पद्धति** :— छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा स्टॉफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसका विस्तृत विवरण व्यापमं के वेबसाईट पर देखी जा सकेगी।

28. संभागवार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी निम्नानुसार है।

संभागवार स्टाफ नर्स के पदों (सीधी भर्ती व बैकलॉग) का आरक्षणवार विवरण

क्र.	संभाग का नाम	पदों का प्रकार (सीधी भर्ती के / बैकलॉग के पद)	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल योग	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःषक्तजन के लिए वर्गवार आरक्षित पद			
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व
1	रायपुर	सीधी भर्ती	94	22	28	24	168	28	6	8	7	9	2	3	2	6	1	2	1
		बैकलॉग	0	36	80	0	116	0	0	0	0	0	4	8	0	0	7	8	0
		कूल	94	58	108	24	284	28	6	8	7	9	6	11	2	6	8	10	1
2	बिलासपुर	सीधी भर्ती	53	5	16	0	74	16	2	5	0	5	1	2	0	2	0	0	0
		बैकलॉग	0	22	49	0	71	0	7	15	0	0	2	5	0	0	0	1	0
		कूल	53	27	65	0	145	16	9	20	0	5	3	7	0	2	0	1	0
3	सरगुजा	सीधी भर्ती	3	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
		बैकलॉग	0	21	217	58	296	0	18	178	48	0	2	24	6	0	1	15	4
		कूल	3	21	217	58	299	0	18	178	48	1	2	24	6	2	1	15	4
4	बस्तर	सीधी भर्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	2	349	55	406	0	0	105	17	0	0	35	5	0	0	21	3
		कूल	0	2	349	55	406	0	0	105	17	0	0	35	5	0	0	21	3
योग		सीधी भर्ती	150	27	44	24	245	44	8	13	7	15	3	5	2	10	1	2	1
		बैकलॉग	0	81	695	113	889	0	25	298	65	0	8	72	11	0	8	45	7
महायोग			150	108	739	137	1134	44	33	311	72	15	11	77	13	10	9	47	8

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

स्टाफ नर्स

क्रं.	जिले का नाम	पद का नाम	संभाग / जिला स्तरीय	पदों का प्रकार (सीधी भर्ती के / बैकलॉग के पद)	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल योग	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःषक्तजन के लिए वर्गवार आरक्षित पद			
					अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व
1	रायपुर	स्टाफ नर्स	संभाग स्तरीय	सीधी भर्ती	94	22	28	24	168	28	6	8	7	9	2	3	2	6	1	2	1
				बैकलॉग	0	36	80	0	116	0	0	0	0	0	4	8	0	0	7	8	0
				कूल	**94**	**58**	**108**	**24**	**284**	**28**	**6**	**8**	**7**	**9**	**6**	**11**	**2**	**6**	**8**	**10**	**1**
2	बिलासपुर	स्टाफ नर्स	संभाग स्तरीय	सीधी भर्ती	53	5	16	0	74	16	2	5	0	5	1	2	0	2	0	0	0
				बैकलॉग	0	22	49	0	71	0	7	15	0	0	2	5	0	0	0	1	0
				कूल	**53**	**27**	**65**	**0**	**145**	**16**	**9**	**20**	**0**	**5**	**3**	**7**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**
3	सरगुजा	स्टाफ नर्स	संभाग स्तरीय	सीधी भर्ती	3	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
				बैकलॉग	0	21	217	58	296	0	18	178	48	0	2	24	6	0	1	15	4
				कूल	**3**	**21**	**217**	**58**	**299**	**0**	**18**	**178**	**48**	**1**	**2**	**24**	**6**	**2**	**1**	**15**	**4**
4	बस्तर	स्टाफ नर्स	संभाग स्तरीय	सीधी भर्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				बैकलॉग	0	2	349	55	406	0	0	105	17	0	0	35	5	0	0	21	3
				कूल	**0**	**2**	**349**	**55**	**406**	**0**	**0**	**105**	**17**	**0**	**0**	**35**	**5**	**0**	**0**	**21**	**3**
योग				सीधी भर्ती	150	27	44	24	245	44	8	13	7	15	3	5	2	10	1	2	1
				बैकलॉग	0	81	695	113	889	0	25	298	65	0	8	72	11	0	8	45	7
महायोग					150	108	739	137	1134	44	33	311	72	15	11	77	13	10	9	47	8

उप संचालक ( )
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

30/03/2016
संयुक्त संचालक (स्थापना)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़